

दक्षिण मध्य रेलवे

संरक्षा.387/फ्लाई लीफ /09/2022

फ्लाई लीफ सं.09/2022
ध्यान दें सर्व संबंधित.

ऊपरी उपस्कर क्षेत्र में अपनाए जाने वाले सामान्य संरक्षा पूर्वोपाय

सिगनल व दूरसंचार विभाग

क्या करें

- ✓ कर्मचारियों को 2 मीटर के भीतर लाइव कर्षण ऊपरी तारों के संपर्क में आने से होने वाले खतरों के बारे में चेतावनी दी जाए.
- ✓ ऊपरी उपस्कर में ऐसी किसी भी असामान्यता की रिपोर्ट की जाए, जो टीपीसी की संरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है. यदि क्षति भारी है या चल आयामों का अतिलंघन होता है, तो लाइनों की रक्षा के लिए अनुकूल कदम उठाएं
- ✓ सिगनल खंभों पर कार्य करते समय, ऊपरी उपस्कर लाइव कंडक्टर से दूर रहे. यदि आवश्यक हो, तो "पावर ब्लॉक" और टीआरडी से "कार्य करने का परमिट" लें.

क्या न करें

- ✗ 25 केवी लाइव ऊपरी उपस्कर से 2 मीटर के दायरे में आने वाले सिगनल खंभें या उसकी फिटिंग के किसी हिस्से पर तब तक काम न करें जब तक कि इस हिस्से को मेटैलिक स्क्रीन से सुरक्षित न किया गया हो या लाइव ऊपरी उपस्कर के पावर को स्विच आफ किया गया हो "कार्य करने का परमिट" प्राप्त किया गया हो. रेल पटरी के स्तर से 3 मीटर की ऊंचाई पर सिगनल खंभें के चारों ओर 10 सेमी चौड़ा एक लाल बैंड पेंट करें. कर्मचारियों को तदनुसार काउंसल करें.
- ✗ कर्मचारियों को सिगनल खंभें, जहां सुरक्षित क्रीन की व्यवस्था न की गई हो, पर कार्य करने के लिए नियुक्त न करें.
- ✗ ऊपरी कर्षण तारों के लाइव हिस्सों से 2 मीटर के भीतर कोई भी कार्य तब तक न करें, जब तक कि उन्हें निष्क्रिय और उनकी अर्थिंग न की गई हो और "कार्य करने का परमिट" न लिया गया हो.
- ✗ स्टील मापन टेप या लंबी धातु की तारों, छड़ों या लेवलिंग स्टाफ का उपयोग न करें.
- ✗ कर्षण संस्थापनों की रेलपथ बांडिंग/ अर्थिंग से छेड़छाड़ न करें.
- ✗ दरार वाली रेल पटरियों के दोनो सिरों को नंगे हाथों से न छुएं.
- ✗ कर्षण कर्मचारी की जानकारी के बिना रेलपथ परिपथ न बदलें.

इंजीनियरी विभाग

क्या करें

- ✓ 2 मीटर के भीतर लाइव कर्षण ऊपरी तारों के संपर्क में आने के खतरे के बारे में सभी कर्मचारियों को चेतावनी दें.
- ✓ ऊपरी उपस्कर में किसी भी असामान्यता, जो टीपीसी की संरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हो, की रिपोर्ट सभी कर्मचारियों को तत्काल करें. यदि क्षति भारी हो या चल आयामों का अतिलंघन होता हो तो लाइनों की रक्षा के लिए अनुकूल कदम उठाएं.
- ✓ विद्युतीकृत सेक्शन में कार्य करते समय जैसे पुलों के थ्रू स्पैन के स्टील कार्य और प्लेटफार्म शेडों की पेंटिंग आदि करते समय लाइव ऊपरी उपस्कर से सीधे संपर्क का जोखिम हमेशा बना रहता है. अतः लाइव ऊपरी उपस्कर के 2 मीटर के दायरे में बिना कार्य परमिट के कोई कार्य न किया जाए. यह भी ध्यान रखा जाए कि कोई औज़ार या कामगार के शरीर का कोई अंग खतरे के क्षेत्र में न आए.
- ✓ पटरियों में रिटर्न करंट टूटी पटरी के दोनों सिरों और इन्सुलेटिड जोड आदि के बीच अंतर ला सकता है अतः अनिवार्य रूप से अस्थायी विद्युत कनेक्शन की व्यवस्था करे.
- ✓ जब रेलपथ के साथ-साथ पटरियों की उतराई होती हो तो यह सुनिश्चित करे कि पटरियां एक दूसरे को इस तरह न छुएं कि 300 मीटर से अधिक लंबा मेटैलिक मास तैयार हो जाए.
- ✓ रेलपथ के अनुरक्षण/नवीकरण के दौरान पटरियों की निरंतरता अनिवार्यतः बनाई रखी जाए. फिशप्लेट के हटाने, पटरियों के टूटने आदि के कारण पडी दरारों के भरने के लिए जम्पर की व्यवस्था की जाए. टूटी हुई पटरी के दोनों सिरों को आवश्यक सावधानी बरतते हुए अनुमोदित डिज़ाइन के मेटैलिक जम्पर द्वारा अस्थायी रूप से जोडा जाए.
- ✓ चूंकि रिलेइंग यूनिट में वर्तमान पटरियों का सभी प्रकार के कर्षण बांड के साथ हटाना शामिल होता है अतः जब तक स्थायी बांड नई पटरियों से नहीं जोडे जाते तब तक रिटर्न करंट के पास होने के लिए अस्थाई जम्पर लगाए जाएं.
- ✓ टीआरडी के परामर्श से एसओडी के अनुसार इम्प्लान्टेशन बनाए रखे.
- ✓ रेलपथ परिपथ क्षेत्र में, इन्सुलेटिड जोड या धातु की किसी वस्तु को नंगे हाथों न जोडे. पटरी के पृथक सेक्शन और गैर-पृथक सेक्शन के साथ एक ही समय पर संपर्क ना करे. जब कभी अपेक्षित हो कर्षण बांड और जम्पर/बांडिंग संयोजन हटाने और बदलने के लिए कार्यस्थल पर टीआरडी, सिगवदू कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करे. यह सुनिश्चित करने के बाद कि टीआरडी, सिगवदू कर्मचारियों द्वारा कर्षण बांड/ केबल जम्पर पुनर्संयोजित किए गए हैं सामान्य यातायात के लिए ब्लाक को रद्द करे.
- ✓ लंबे पाइप, पोल, सीढी को कंधों पर लटकाते समय इस बात का ध्यान रखे कि ये लाइव ऊपरी उपस्कर के या 2 मीटर के भीतर संपर्क में न आए.

- ✓ ऊपरी उपस्कर मास्ट के फाउंडेशन ब्लॉक का उपरी हिस्सा सामग्री मुक्त हो. कर्षण संरचना के फाउंडेशन ब्लॉक के उपरी हिस्से को सामग्री मुक्त और साफ-सुथरा रखे.
- ✓ विद्युतीकृत क्षेत्र में, रेलपथ पर संरेखण में परिवर्तन या रेलपथ का स्तर / कोई बड़ा कार्य करते समय टीआरडी कर्मचारियों को 48 घंटे की अग्रिम सूचना दे.
- ✓ मास्ट नींव के निकट खुदाई का कार्य करते समय यह सुनिश्चित करे कि नींव खुल न गई हो. ऐसे सभी कार्य टीआरडी कर्मचारियों को सूचना देते हुए किए जाए.
- ✓ समपार फाटक पर पहुंच मार्ग स्तर को इस तरह बनाए रखें कि सड़क स्तर के ऊपर समपार गेज के टाप मेम्बर के बीच की क्लियरेंस 4.67 मीटर और 4.78 मीटर के बीच हो और समपारों पर कन्टेक्ट वायर की ऊंचाई रेल स्तर से कम से कम 5.5 मीटर ऊपर हो.
- ✓ सभी ऊपरी पैदल पुलों/निचले सड़क पुलों पर निरंतर संरक्षा क्रीन/पेरापेट दीवारों की व्यवस्था करें और ऊपरी पैदल पुलों की क्रीनिंग, विद्युत अर्थिंग, स्टील कार्य आदि जैसे सभी सांविधिक प्रावधानों का कार्य पूरा होने के बाद ही ऊपरी पैदल पुलों को खोलना सुनिश्चित करे. तब तक निर्माणाधीन ऊपरी पैदल पुल के प्रवेश को जनता के उपयोग के लिए बंद रखा जाए.
- ✓ ऊपरी उपस्कर के आस-पास सेवा भवनों और संरचनाओं पर कार्य करते समय यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दे कि औज़ार, मापनटेप, सामग्री, वेल्डिंग केबल, ऐसी स्थिति में ना रखे हो जहां से उनके गिरने या ऊपरी उपस्कर के संपर्क में आने की संभावना हो.
- ✓ विद्युतीकृत क्षेत्र में निकटवर्ती रेलपथ और केबल मार्गों का खुदाई कार्य करते समय, कर्मचारियों की संरक्षा और भूमिगत केबलों व पटरी के बांडों को क्षति के बचाने के लिए पर्याप्त पूर्वोपाय करें.
- ✓ ऊपरी उपस्कर के समीप तब तक क्रेन से कार्य न करें जब तक कि ऊपरी उपस्कर निष्क्रिय न किए गए हो व अर्थिंग न की गई हो और प्राधिकृत ऊपरी उपस्कर कर्मचारी उपस्थित न हो.
- ✓ समपार पर तार के टुकड़ों के मामले में, फाटकवाले को चाहिए कि वह तत्काल सभी सड़क यातायात को रोकने की व्यवस्था करें और निकटतम स्टेशन मास्टर /टीपीसी/ओएचई सेक्शन प्रभारी को सूचित करे.
- ✓ जहां तक संभव हो, इंजीनियरी सामग्री गाडी के लिए बंद मालडिब्बों का उपयोग करें.
- ✓ लाइव कंडक्टर के 4 मीटर निकट तक पेड का कोई भी हिस्सा न हो. इसके लिए ऐसे सभी पेडों और शाखाओं को आवधिक रूप से काटा जाए या उनकी छटाई की जाए जिनके लाइव कंडक्टर पर गिरने की संभावना हो.

क्या न करें

- ✗ विद्युतीकृत रेलपथ पर स्टील मापन टेप, धातु टेप वोवन मेटल रीएनफोर्समेंट के साथ टेप, मेटैलिक लेवलिंग स्टाफ और लंबी मेटैलिक तार छड़ का उपयोग न करे.
- ✗ गिरी या लटकती कर्षण तारों को न छुए. समपार पर गिरी हुई तारों के मामलों में, फाटकवाले को चाहिए कि वह सभी सड़क यातायात को रोकने की व्यवस्था करें और जनता को दूर रखें.

- ✘ जब विद्युत इंजन द्वारा ढुलाई की गई गाडी 250 मीटर के भीतर हो तब पटरियों को न छुए.
- ✘ पटरी के दोनों सिरों को नगें हाथों से न छुए. केवल अनुमोदित गुणवत्ता वाले दस्तानों का उपयोग करे.
- ✘ ऊपरी कर्षण तारों के लाइव हिस्सों से 2 मीटर की दूरी के भीतर कोई भी काम तब तक न करें, जब तक कि उन्हें निष्क्रिय न किया गया हो और उनकी अर्थिंग न की गई हो और टीआरडी से “कार्य करने का पर्मिट” न लिया गया हो.
- ✘ प्राधिकृत कर्षण की उपस्थिति के बिना और टीआरडी से कार्य करने की अनुमति लिए बिना कर्षण ऊपरी उपस्कर के निकट के पेड को न काटे ना ही उसकी छटाई करें
- ✘ रेलपथ बांडिंग या ऊपरी उपस्कर संरचना के लिए उपलब्ध बांडिंग के साथ छेडछाड न करें. यदि कोई बांड विनियोजित/बाधित है तो कर्षण कर्मचारियों को तुरंत सूचित करें.
- ✘ फिशप्लेट को, जम्पर के साथ अस्थायी वियोजन या अनुमोदित डिज़ाइन के बिना न हटाए/ ना ही ढीला करे.
- ✘ रेलपथ परिपथ क्षेत्र में इन्सुलेटिड जोड या पटरियों या धातु की किसी वस्तु को नंगे हाथों न जोडे.
- ✘ एक ही या अन्य रेलपथ के पटरी के पृथक सेक्शन और गैर-पृथक सेक्शन के साथ एक ही समय पर संपर्क ना करें.
- ✘ पटरियों का बैठने या ऐसे किसी अन्य प्रयोजनों के लिए मार्ग के रूप में प्रयोग न करें.
- ✘ लाइव ऊपरी कर्षण उपस्कर के 2 मीटर खतरे क्षेत्र के भीतर लंबे पाइप, पोल, सीढी को खडा करके न उठाएं.
- ✘ टीआरडी कर्मचारियों को सूचना दिए बिना अस्थायी जम्पर न खोले.
- ✘ जब ऊपरी सडक पुल का कार्य चल रहा हो तो वेलडिंग केबल को लटकता/ढीला न छोडे.
- ✘ ऊपरी पैदल पुल, ऊपरी सडक पुल और अन्य ओवरलाइन संरचना के नीचे पटरी का स्तर न बढाए. कर्षण कर्मचारियों की जानकारी के बिना रेलपथ को न घुमाएं/ना ही इसका संरेखण करें.
- ✘ पेंट पॉट, आइल केस, मेटल बार आदि जैसे औजार या धातु की वस्तुओं का उपयोग न करें जो हवा से लाइव ऊपरी उपस्कर तक पहुंच सकती है.

यांत्रिक विभाग (सी व डब्ल्यू तथा लोको)

क्या करें

- ✓ सभी कर्मचारियों को 2 मीटर के भीतर लाइव कर्षण के साथ संपर्क में आने वाले खतरे की चेतावनी दे.
- ✓ सभी कर्मचारी ऊपरी उपस्कर पर किसी असामान्यता, जो टीपीसी की संरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हो, की तत्काल रिपोर्ट करे. यदि क्षति भारी हो या चल आयामों का अतिलंघन हो तो लाइन की सुरक्षा के लिए कदम उठाए.
- ✓ जब तक ऊपरी उपस्कर का प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित न हो, ऊपरी उपस्कर पर या उसके निकट किसी भी क्रेन का कार्य न करें. यदि ऐसा हो तो ऊपरी उपस्कर संरचना से टकराने या क्षति से बचने के लिए सावधानी बरतें.

✓ ऊपरी उपस्कर कर्मचारियों द्वारा कार्यस्थल पर प्रदर्शित सतर्कता आदेशों और सिगनलों का पालन करे.

क्या न करें

- ✘ जब तक कि ऊपरी उपस्कर निष्क्रिय और अर्थ न किया गया हो ऊपरी उपस्कर के नीचे खड़े इंजन/सवारी डिब्बे पर न चढ़े.
- ✘ पानी भरते समय ऊपरी उपस्कर की ओर होज़ से जेट को सीधा न करे पानी के जेट को लाइव ऊपरी उपस्कर से दूर क्षैतिजिक रूप से घुमाए ना कि उधर्वाधर रूप से.
- ✘ लाइव कर्षण तार के 2 मीटर के खतरे क्षेत्र के भीतर लंबे पोल या कोई अन्य वस्तु को न ले जाए.
- ✘ जब तक होज़ पाइप का दूसरा सिरा सवारी डिब्बे की टंकी में डाला नहीं जाता वाटर फिलिंग हाइड्रेंट को ना खोलें. होज़ पाइप को कैरिज टैंक से तब तक न निकाले जब तक हाइड्रेंट को बंद नहीं किया जाता. ऐसा करना वाटर जेट को लाइव ऊपरी कर्षण तारों से दुर्घटनावश संपर्क में आने से रोकने के लिए आवश्यक है.
- ✘ डीज़ल इंजन की मरम्मत करते समय, यह सुनिश्चित करें कि ऊपरी उपस्कर के 2 मीटर खतरे क्षेत्र के भीतर कोई औज़ार न हो.

प्रमुख मुख्य संरक्षा अधिकारी

संरक्षा संगठन

दक्षिण मध्य रेलवे